दैनिक भास्कर

पटना, शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018 | 3

बिल्डरों व प्रमोटरों की वेबसाइट पर नजर रखेगी आर्थिक अपराध इकाई

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिल्डरों व प्रमोटरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर आर्थिक अपराध इकाई नजर रखेगी। ईओयू बिल्डरों और प्रमोटरों की वेबसाइट पर नजर रखेगी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि थाना प्रभारियों को सभी परियोजना स्थल पर साइन बोर्ड लगवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसपर रेरा में निबंधन संख्या समेत प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य है। अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए 631 आवेदन आए हैं, जिसमें से मात्र 151 का निबंधन हुआ है। जांच के दौरान कई परियोजनाओं को शोकॉज नोटिस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेरा सदस्य राजीव भूषण सिन्हा व सुबोध कुमार सिन्हा मौजूद थे।

रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाएं

रेरा अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं से रेरा में निबंधित प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की अपील की, ताकि भविष्य में होने वाली किसी परेशानी से बचा जा सके। निबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा के बेवसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रेरा के अनुरोध पर अनिबंधित प्रोजेक्ट के निबंधन पर रोक लगा दी है(30 सितंबर तक सभी बिल्डर और प्रमोटरों को वित्तीय वर्ष 2017-18 का ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।